

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर

कार्यालय आदेश क्रमांक-स्टेनो/2024/11

दिनांक- 27/5/24

कार्यालय आदेश

मैं, विकास कालेर, आरजेएस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न शासकीय अवकाशों में बीकानेर जिले के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं कार्यों के निस्तारणार्थ निम्न अधिकारी को अधिकृत करता हूँ जो कि उक्त कार्य अपने न्यायालय कक्ष में प्रातः 11.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे तथा यदि किसी कारणवश राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार राजकीय अवकाश के अगले ही दिन अचानक राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है तो ऐसे घोषित राजकीय अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, वहीं अधिकारी ऐसे घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान आने वाले इन्व्हेस्ट व मृत्युकालीन बयान व अन्य विशेष कार्य भी उसी अधिकारी के द्वारा सम्पादित किए जायेंगे, जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है।

अवकाश दिवस जिसमें पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे	पीठासीन अधिकारी का नाम	पीठासीन अधिकारी के मोबाईल नम्बर	न्यायालय का नाम जिसके पीठासीन अधिकारी अवकाश दिवस में कार्य करेंगे।
02 जून 2024	श्री साजिद हुसैन	9782005001	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) बीकानेर
08-09 जून 2024	श्रीमती भारती पाराशर	8890679791	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट प्रकरण संख्या 02, बीकानेर
16 जून 2024	सुश्री पल्लवी	9461683351	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बीकानेर
17 जून 2024	श्री अभिषेक गुप्ता	9780603020	न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, बीकानेर
18 जून 2024	श्री राहुल	9782296619	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 बीकानेर
22-23 जून 2024	श्री ललित कुमार	9413874388	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण संख्या 03, बीकानेर
30 जून 2024	श्री अजीत सिंह राठौड़	8118836745	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 04, बीकानेर

नोट:- (1) उक्त राजकीय अवकाशों के दिन ताल्लुक मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के रिमाण्ड दे सकेंगे।

(2) रिमाण्ड आवेदन अवकाशकालीन न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि के दौरान ही पेश किये जायेंगे तथा अनावश्यक विलम्ब करने पर संबंधित थानाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।

पत्र प्रेषण क्रमांक:-स्टेनो/2024/704

दिनांक:- 27/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर को सूचनार्थ
 - 2 श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बीकानेर
 - 3 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) बीकानेर
 - 4 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट प्रकरण संख्या 02, बीकानेर
 - 5 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बीकानेर
 - 6 न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, बीकानेर
 - 7 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 बीकानेर
 - 8 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण संख्या 03, बीकानेर
 - 9 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 04, बीकानेर
 - 10 कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बीकानेर
 - 11 अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बीकानेर
- 12 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।